

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ० बजट-आवंटन-10/2017-5०(भीष्ट)कृ०, पटना, दिनांक ३०-०८-2017

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) अंतर्गत वर्ष 2017-18 में वेतन मद में 11479.88 लाख (एक अरब चौदह करोड़ उनासी लाख अठासी हजार) रूपये, गैर वेतन मद में 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़ रूपये तथा परिसंपत्तियों के निर्माण मद में 363.00 लाख (तीन करोड़ तिरसठ लाख) रूपये कुल 12942.88 लाख (एक अरब उनतीस करोड़ बेयालीस लाख अठासी हजार) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति के फलस्वरूप कुल ₹1,29,42,88,000 (एक अरब उनतीस करोड़ बेयालीस लाख अठासी हजार रूपये) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3288 दिनांक-17.08.2017 द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) अंतर्गत वर्ष 2017-18 में वेतन मद में 11479.88 लाख (एक अरब चौदह करोड़ उनासी लाख अठासी हजार) रूपये, गैर वेतन मद में 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़ रूपये तथा परिसंपत्तियों के निर्माण मद में 363.00 लाख (तीन करोड़ तिरसठ लाख) रूपये कुल 12942.88 लाख (एक अरब उनतीस करोड़ बेयालीस लाख अठासी हजार) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹1,29,42,88,000 (एक अरब उनतीस करोड़ बेयालीस लाख अठासी हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त ₹1,29,42,88,000 (एक अरब उनतीस करोड़ बेयालीस लाख अठासी हजार रूपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-277-शिक्षा-मांग सं०-01-उपशीर्ष-0008- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को, विपत्र कोड-01-2415012770008, के अंतर्गत {(विषयशीर्ष-0008.31.04-सहायक अनुदान वेतन मद में ₹1,14,79,88,000 (एक अरब चौदह करोड़ उनासी लाख अठासी हजार रूपये) मात्र, विषयशीर्ष-0008.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में ₹3,63,00,000 (तीन करोड़ तिरसठ लाख रूपये) मात्र एवं विषयशीर्ष-0008.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹11,00,00,000 (ग्यारह करोड़ रूपये) मात्र} वित्तीय वर्ष, 2017-18 में बजट में उपबंधित कुल ₹1,29,42,88,000 (एक अरब उनतीस करोड़ बेयालीस लाख अठासी हजार रूपये) में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-3002 वि० (2) दिनांक-26.04.2017 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,


(प्रभु राम) ३०/८/१८
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

५७(भावेटन)

/कृ०, पटना, दिनांक ३०-०८-२०१७

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अमरप्रिया

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

५७(भावेटन)

/कृ०, पटना, दिनांक ३०-०८-२०१७

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रशासी-सह-लेखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशास्त्र पदाधिकारी, प्रशास्त्रा-०४ (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक, (शाष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

अमरप्रिया

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, प्रटना।